

न्यायालय : प्रवीण कुमार सौधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

कमांक. / / 2024

मंदसौर, दिनांक 31.08.2024

— :: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश माह सितम्बर 2024 ::—

— :: जिला मुख्यालय—मंदसौर ::—

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह सितम्बर 2024
1	श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	29-09-2024
2	श्रीमती रोहणी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	15-09-2024
3	श्री राजकुमार त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	01-09-2024
4	श्रीमती निकिता वार्ष्णेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	22-09-2024
5	श्रीमती प्राची पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	08-09-2024
6	श्रीमती श्वेता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	16-09-2024
7	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	21-09-2024
8	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	18-09-2024
9	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	07-09-2024

— :: तहसील मुख्यालय—नारायणगढ ::—

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह सितम्बर
1	श्री डालचंद्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	07-09-2024 08-09-2024 29-09-2024
2	श्री सौरभ कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	15-09-2024 16-09-2024 18-09-2024
3	श्रीमती साक्षी प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	01-09-2024 21-09-2024 22-09-2024

— :: तहसील मुख्यालय—सीतामउ ::—

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह सितम्बर 2024
1	श्री विनित साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीतामउ, जिला मंदसौर	01-09-2024 07-09-2024

		08-09-2024
2	श्रीमती प्रियंका साकेत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ, जिला मंदसौर	22-09-2024 29-09-2024
3	सुश्री सुभांगी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीतामउ, जिला मंदसौर	15-09-2024 16-09-2024 18-09-2024

— ::तहसील मुख्यालय—गरोठ ::—

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह सितम्बर 2024
1	श्री राहुल दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	01-09-2024 08-09-2024 16-09-2024 21-09-2024 29-09-2024
2	श्रीमती प्रीति पांडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	07-09-2024 15-09-2024 18-09-2024 21-09-2024

— ::तहसील मुख्यालय—भानपुरा ::—

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	माह सितम्बर 2024
1	श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा	01-09-2024 07-09-2024 08-09-2024 15-09-2024 16-09-2024 18-09-2024 21-09-2024 22-09-2024 29-09-2024

श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा अवकाश पर रहने के दौरान उनके क्षेत्राधिकारांगत आने वाले आरक्षी केंद्रों से संबंधित प्रकरणों की रिमांड/आवश्यक कार्य का निष्पादन गरोठ में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वारा किया जावेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री राहुल दुबे एवं श्रीमती प्रीती पाण्डेय के अवकाश पर रहने के दौरान उनके क्षेत्राधिकारांगत आने वाले आरक्षी केंद्रों से संबंधित प्रकरणों की रिमांड/आवश्यक कार्य का निष्पादन श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भानपुरा द्वारा किया जावेगा।

माह **सितम्बर** 2024 के उपरोक्त अवकाशों के अतिरिक्त में यदि कोई अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित होने अथवा रिमांड ड्यूटी हेतु नियुक्ति मजिस्ट्रेट के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्वीकृत होने की दशा में मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा स्थापना पर उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन माह सितम्बर 2024 में क्रमशः श्रीमती रोहणी तिवारी/श्रीमती प्रियंका साकेत/श्री सौरभ कुमार सिंह/श्री राहुल दुबे/श्री ऋषिराज मिश्रा के द्वारा किया जावेगा।

उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी सामान्यतः परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। किन्तु आकस्मिकता एवं आपवादिक परिस्थितियों में यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपनी रिमांड परिवर्तित/समाप्त कराना चाहे, तो संबंधित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित पारस्परिक सहमति प्रेषित किये जाने पर उपर्युक्तानुसार नियत रिमांड ड्यूटी परिवर्तित की जा सकेगी।

सार्वजनिक अवकाश अवधि में न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दिये जाने का आवेदन प्रेषित करते समय आवेदन में उक्त सार्वजनिक अवकाश में उनकी रिमांड ड्यूटी नियत होने या न होने का स्पष्ट उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्ताओं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से विहित 24 घंटे की समयावधि का अवसान रिमांड ड्यूटी हेतु नियत समय 3.00 बजे के पूर्व समाप्त होने की दशा में उक्त दिनांक को रिमांड ड्यूटी करने वाले न्यायालय के निष्पादक लिपिक से अविलंब संपर्क कर निष्पादक लिपिक के माध्यम से रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट को अवगत कराना तथा रिमांड ड्यूटी करने वाले मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार रिमांड संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

विशेष :- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर के आदेश के अधीन प्रभावशील रहेगा।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मंदसौर (म.प्र.)

मंदसौर, दिनांक 31.08.2024

पृ.क्र.:- /2024

प्रतिलिपि :- (ईमेल-मेसेज द्वारा)

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अतिरिक्त/जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 5- नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर सूचनार्थ।
- 6- सिस्टम आफिसर/डी.एस.ए./कम्प्यूटर लिपिक न्यायिक स्थापना मंदसौर/सीतामउ/नारायणगढ़/गरोठ/भानपुरा की ओर उक्त आदेश की प्रतिलिपि ई-मेल/मेसेजे के माध्यम से संबंधित को प्रेषित किये जाने हेतु।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मंदसौर (म.प्र.)